

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विभिन्न प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्र (सीडीईआईसी) संशोधित दिशानिर्देश, 2026 (01.10.2026 से प्रभावी)

विषय-सूची

1.	**प्रस्तावना**	3-4
2.	**उद्देश्य**	5
3.	**लक्ष्य**	6
4.	**कार्यान्वयन एजेंसी**	6
5.	**पात्रता मानदंड**	6
6.	**योजना के घटक**	6-7
7.	**परिचालन व्यवस्था**	7
8.	**भुगतान की शर्तें और सामान्य नियम**	7-8
8.1	**बुनियादी अवसंरचना/फिक्स्चर/उपकरण लागत**	8
8.2	**पारिश्रमिक लागत**	8
8.3	**आकस्मिक व्यय लागत**	8
8.4	**अन्य सामान्य नियम और शर्तें**	8-10
	अनुबंध I—आवेदन प्रपत्र	11
	अनुबंध II— अपेक्षित केंद्र/इकाइयाँ/कमरे	12
	अनुबंध III— सांकेतिक उपकरण सूची	13-21
	अनुबंध IV— मानव संसाधन आवश्यकताएँ	22-24
	अनुबंध V— चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना	25
	अनुबंध VI—सीडीईआईसी लोगो	26

डीईपीडब्ल्यूडी के तहत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में विभिन्न प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना के लिए सिपडा के तहत उप-योजना

1. प्रस्तावना:

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 20.42 लाख बच्चों (0-6 वर्ष आयु वर्ग में) के दिव्यांग होने की सूचना मिली थी। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि जनगणना 2011 में दिव्यांगता की केवल सात श्रेणियों की गणना की गई थी, जबकि दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है। परिणामस्वरूप, दिव्यांग बच्चों की व्यापकता जनगणना 2011 में दिखाई गई संख्या से अधिक होने की संभावना है, जो भविष्य के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और जनगणना अभ्यासों के माध्यम से अद्यतन और व्यापक दिव्यांगता डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

न्यूरोप्लास्टिसिटी से तात्पर्य मस्तिष्क की उस अंतर्निहित क्षमता से है, जिसके द्वारा वह अनुभवों, सीखने और उपचारात्मक हस्तक्षेपों के जवाब में तंत्रिका कनेक्शनों को बनाकर और उन्हें मजबूत करके अपनी संरचना और कार्य को पुनर्गठित करता है। यह क्षमता प्रारंभिक बचपन के दौरान सबसे अधिक होती है, जिसमें **जीवन के पहले तीन वर्ष** अधिकतम तंत्रिका विकास और जुड़ाव की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मस्तिष्क लगभग **छह वर्ष की आयु** तक उच्च स्तर की प्लास्टिसिटी (सुघट्यता या अनुकूलनशीलता) प्रदर्शित करना जारी रखता है। यह विकासात्मक अवसर समय पर, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से बच्चे के संज्ञानात्मक, शारीरिक गति, भाषा, संवेदी, सामाजिक और अनुकूलन क्षमता से जुड़े विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक अनूठा मौका प्रदान करता है। इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान पहचान और हस्तक्षेप में देरी से इष्टतम विकासात्मक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा **विभिन्न प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों (सीडीईआईसी) की स्थापना** के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। मस्तिष्क के विकास की इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रारंभिक जांच, बहु-विषयक मूल्यांकन, व्यक्तिगत हस्तक्षेप और सक्रिय पारिवारिक भागीदारी को सुगम बनाकर, सीडीईआईसी अनुकूलन के लिए मस्तिष्क की बढ़ी हुई क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं, जिससे कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार हो सके, विकासात्मक लाभों को बढ़ावा मिले, स्कूल के लिए तत्परता बढ़े और विकासात्मक देरी व दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अधिक स्वतंत्रता और सामाजिक समावेश को सक्षम बनाया जा सके।

शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन (0-6 वर्ष) मस्तिष्क के असाधारण विकास का समय होता है। यह वह महत्वपूर्ण अवधि है जो किसी व्यक्ति की आजीवन स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक पहुँचने की योग्यता को निर्धारित करती है।

0-6 वर्ष की आयु को बच्चे के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र भी कहा जाता है। इसलिए, दिव्यांग बच्चों की शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं, संचार और भाषा कौशल में सुधार करके उन्हें इस उम्र में स्कूल के लिए तैयार करना आवश्यक है ताकि वे एक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम हो सकें।

जीवन के प्रारंभिक चरण में गुणवत्तापूर्ण बाल-हस्तक्षेप प्रदान करने से उन कौशलों को विकसित करने में मदद मिलती है, जो व्यक्तियों को एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप, दिव्यांगता या

विकासात्मक देरी के जोखिम वाले शिशुओं व छोटे बच्चों और उनके परिवारों को उनके विकास, कल्याण और पारिवारिक व सामुदायिक जीवन में भागीदारी में मदद करने के लिए विशेष सहायता और सेवाएँ प्रदान कर सकता है। दिव्यांगता/जोखिम/विकासात्मक देरी वाले बच्चों को जितनी जल्दी समय पर पुनर्वास देखभाल और हस्तक्षेप प्रदान किया जाता है, उस व्यक्ति के समग्र कल्याण में सुधार की गुंजाइश उतनी ही बेहतर होती है।

कम उम्र में पुनर्वास हस्तक्षेप काफी अधिक प्रभावी होता है क्योंकि दिव्यांग बच्चे अपनी उच्च स्तर की न्यूरोप्लास्टिसिटी (तंत्रिका सुघट्यता/ मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता) के कारण थेरेपी (उपचार) के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होते हैं। यदि आज किसी पुनर्वास हस्तक्षेप की लागत **Rs. X** है, तो **N** वर्षों के बाद उसी हस्तक्षेप का प्रभाव काफी कम हो जाएगा क्योंकि समय के साथ उपचार के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाशीलता घटती जाती है। इसके विपरीत, **N** वर्षों के बाद उसी स्तर का सुधार प्राप्त करने के लिए, पुनर्वास पर बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी। संक्षेप में, आज प्रारंभिक हस्तक्षेप में निवेश किए गए **Rs. X** आने वाले वर्षों में पुनर्वास पर **10X, 100X या 1000X** तक खर्च करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं, साथ ही यह बच्चे के लिए बेहतर कार्यात्मक सुधार और बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करता है। इसलिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप न केवल चिकित्सकीय रूप से अधिक प्रभावी है बल्कि अत्यधिक लागत प्रभावी भी है, जो इसे एक मजबूत और समझदारी भरा आर्थिक निवेश बनाता है।

वर्ष 2026 में समाप्त होने वाले ई.एफ.सी. चक्र के दौरान, विभाग ने कुल 28 प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों को मंजूरी दी थी और नागरिकों द्वारा दिव्यांग बच्चों की चिकित्सीय, शैक्षणिक और परामर्श संबंधी आवश्यकताओं के लिए उनका उपयोग बहुत प्रभावी पाया गया।

अंतिम छोर तक ऐसे दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभाग ने वर्ष 2031 में समाप्त होने वाले ई.एफ.सी. चक्र के अंत तक चरणबद्ध तरीके से देश में ऐसे सीडीईआईसी के दायरे को वर्तमान 28 से बढ़ाकर कुल 55 करने का निर्णय लिया है। ये केंद्र वर्तमान में राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के परिसरों में संचालित हैं, हालांकि विभाग अब दिव्यांग बच्चों की भारी संख्या (फुटफॉल) को कवर करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों/चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के परिसरों में उपलब्ध स्थान और संसाधनों के साथ देश के ऐसे अप्रतिनिधित्व वाले हिस्सों में सीडीईआईसी स्थापित करना अनिवार्य करता है। ये सीडीईआईसी देश के कम कवर किए गए क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के लिए प्रशिक्षित चिकित्सीय पेशेवरों की उपलब्धता को भी मजबूत करेंगे और आदर्श स्थिति में, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के साथ उनके अभिसरण के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। यह 'हब एंड स्पोक' मॉडल के रूप में काम करेगा जो एक-दूसरे की ताकत को पूरा करेगा, जैसे दिव्यांगता के क्षेत्र में सीडीईआईसी की तकनीकी विशेषज्ञता को डीईआईसी के व्यापक क्षेत्रीय कवरेज द्वारा बढ़ाया जाना। ऐसे सीडीईआईसी जिलों और ब्लॉक स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों से भेजे गए गंभीर/उन्नत (advance) मामलों के लिए रेफरल केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। इस प्रकार ये सीडीईआईसी दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) की सेवाओं के निरंतर बढ़ते फुटफॉल के साथ उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित होंगे।

2. उद्देश्य:

राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्र (सीडीईआईसी) की स्थापना और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसे प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्र (सीडीईआईसी) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सुसज्जित होने चाहिए:

जांच और पहचान	• दिव्यांगता के जोखिम वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान के लिए सुविधाएं। • उचित हस्तक्षेप सेवाओं (interventional services) के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली।
चिकित्सीय सेवाएँ	• संचार और भाषा का विकास • वाक् उत्तेजना (स्पीच स्टिमुलेशन) और थेरेपी • ऑक्युपेशनल थेरेपी (व्यवसायिक चिकित्सा) • फिजियोथेरेपी (भौतिक चिकित्सा) • टेली-पुनर्वास सेवाएँ • एक्टिविटी टीचर (गतिविधि शिक्षक) द्वारा संचालित मनोरंजक गतिविधियाँ • खेल-आधारित शिक्षण और विकासात्मक गतिविधियाँ • रचनात्मक कला, संगीत और शारीरिक गतिविधि (मूवमेंट) संबंधी कार्य • पोषण संबंधी परामर्श और आहार योजना (डाइट प्लानिंग)
परामर्श	• आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त CCCG(P) पाठ्यक्रम के माध्यम से परिवार, अभिभावक और देखभाल करने वालों (केयरगिवर्स) का परामर्श और प्रशिक्षण • सहकर्मी परामर्श (पीयर काउंसलिंग) • टेली-काउंसलिंग सेवाएँ • माता-पिता के लिए मोबाइल ऐप्स जैसे- I-AMMA तक पहुँच • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के माता-पिता के लिए किसी भी तकनीक-आधारित उपचारात्मक सॉफ़्टवेयर तक पहुँच माता-पिता से माता-पिता और बच्चे से बच्चे के बीच बातचीत तथा अनुभव साझा करने के मंच (प्लेटफ़ॉर्म) • व्यक्तिगत (एक-से-एक) और समूह परामर्श सत्र
स्कूल के लिए तत्परता	• संचार, भाषा और संज्ञानात्मक विकास • बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान • गतिशीलता (मोटर) और शारीरिक विकास • व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास • प्रीपरेटरी स्कूल (प्रारंभिक विद्यालय) की सुविधा • दैनिक जीवन की गतिविधियाँ

3. लक्ष्य:

वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से 27 सीडीईआईसी की स्थापना और कामकाज का समर्थन करना, जो इस प्रकार है:

2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
5	5	6	6	5

4. कार्यान्वयन एजेंसी:

क. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्वायत्त निकाय (राष्ट्रीय संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर)।

ख. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) / क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)।

ग. सरकारी स्वामित्व वाले/सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल, चिकित्सा/स्वास्थ्य सुविधाएं जहां स्थान उपलब्ध हो और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की भारी संख्या (फुटफॉल) हो (इसे आगे 'अस्पताल' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

घ. कार्यान्वयन एजेंसियां इस विभाग को **अनुबंध I** में दिए गए प्रपत्र (प्रोफ़ार्मा) में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

5. पात्रता मानदंड:

राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई)/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी)/सरकारी स्वामित्व वाले/सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के पास सीडीईआईसी की स्थापना के लिए पर्याप्त स्थान अधिमानतः अपनी खुद की या सरकारी गैर-किराए के आवास में होना चाहिए।

एक मॉडल सीडीईआईसी में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए आवश्यक केंद्रों/इकाइयों/कमरों की सांकेतिक सूची **अनुबंध II** में दी गई है।

6. योजना के घटक:

i. **बुनियादी अवसंरचना/फिक्स्चर/उपकरण लागत**

(क) एकमुश्त रु. 40.00 लाख का व्यय या वास्तविक लागत के अनुसार, जो भी कम हो - यह माना जाता है कि अनुशंसित केंद्र के पास सीडीईआईसी चलाने के लिए पहले से ही उपयुक्त कमरे उपलब्ध होंगे। इस मद के तहत फंडिंग (वित्तीय सहायता) उन कमरों में आवश्यक संशोधनों तक ही सीमित है, जैसे कि सुगम्यता संबंधी विशेषताओं सहित बुनियादी अवसंरचना के लिए, जैसे कि स्पर्शनीय पट्टियां, टाइलें, ब्रेल साइनेज, रेलिंग के साथ रैंप, आपातकालीन निकास मार्ग आदि और आकर्षक वॉल डेकोर/पेंटिंग्स/टेक्टाइल दीवारों सहित कलात्मक रूप से डिज़ाइन किए गए इंटीरियर, उपकरण तथा फर्नीचर/फिक्स्चर के लिए, जैसा कि **अनुबंध III** की सांकेतिक सूची में दिया गया है।

(ख) इसके अतिरिक्त, जिन सीडीईआईसी ने परिचालन शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, जैसा भी मामला हो, वे केंद्र के निरंतर कुशल संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी अवसंरचना, सुगम्यता संबंधी विशेषताओं, उपकरणों, फर्नीचर/फिक्स्चर और अन्य मदों के प्रतिस्थापन, संवर्द्धन, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए इस घटक के तहत रु. 20.00 लाख तक या वास्तविक लागत के अनुसार, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत सीडीईआईसी वर्ष 2026-27 के दौरान इस प्रावधान के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हो जाएंगे।

ii. **अनुलग्नक IV** के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के लिए रु. 89,31,000/- प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय या वास्तविक लागत के अनुसार, जो भी कम हो।

iii. रु. 10.00 लाख प्रति वर्ष का आकस्मिक व्यय या वास्तविक लागत के अनुसार, जो भी कम हो।

7. परिचालन व्यवस्था:

बुनियादी अवसंरचना, फर्नीचर और फिक्स्चर आदि पर होने वाले व्यय के अनुमानों पर सीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता के स्तर से नीचे के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। आंतरिक संशोधनों का कार्य GeM / CPPP पोर्टल पर एजेंसी को शामिल करके या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की किसी भी अधिकृत निर्माण एजेंसी के माध्यम से एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकता है।

कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से **दो माह की अवधि के भीतर** निम्नलिखित समिति द्वारा सिफारिश के लिए विचार किया जाएगा:

I. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सीडीईआईसी प्रभारी - अध्यक्ष
II. उप सचिव / निदेशक, सिपडा प्रभारी - सदस्य
III. निदेशक / उप सचिव, सीडीआईसी प्रभारी - सदस्य संयोजक

** यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्थानों या समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के किसी भी निदेशक को सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकते हैं।*

समिति संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों से प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्र (सीडीईआईसी) की स्थापना के लिए अपने विचारार्थ चिन्हित स्थान के वॉक-थ्रू वीडियो सहित प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकती है।

8. भुगतान की शर्तें:

बुनियादी अवसंरचना/फिक्स्चर/उपकरण लागत

i. **प्रथम किस्त**, यानी बुनियादी अवसंरचना/फिक्स्चर/उपकरण लागत के लिए **कुल स्वीकृत राशि का 80%**, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृति के नियमों और शर्तों की पावती प्राप्त होने के बाद अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

ii. **द्वितीय और अंतिम किस्त,** यानी बुनियादी अवसंरचना/फिक्स्चर/उपकरण लागत के लिए कुल **स्वीकृत राशि का शेष 20%,** पहली किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय का विवरण (SoE) और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने के साथ-साथ संतोषजनक भौतिक और वित्तीय प्रगति के बाद जारी की जाएगी, जो समय-समय पर संशोधित **सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017** के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगी।

पारिश्रमिक लागत

अनुबंधात्मक कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए सहायता अनुदान समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के प्रावधानों के अनुपालन और जहां भी लागू हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय का विवरण (SoE) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन, छमाही आधार पर वर्ष में दो किश्तों में जारी किया जाएगा।

आकस्मिक व्यय लागत

आकस्मिक व्यय और अन्य स्वीकृत आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के प्रावधानों के अनुपालन और जहां भी लागू हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय का विवरण (SoE) तथा अन्य दस्तावेजों सहित निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन, वार्षिक रूप से दो किश्तों में (छमाही आधार पर) जारी किया जाएगा।

अन्य सामान्य नियम और शर्तें:-

क. कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुगम्यता संबंधी विशेषताओं सहित बाल-सुरक्षा और बाल-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना के लिए सिविल कार्य को पूरा करना होगा। उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर जैसे कि अग्नि-सुरक्षा उपकरण, विंडो-ब्लाइंड्स, पर्याप्त लाइट फिटिंग्स, सुरक्षा अलार्म सिस्टम आदि और भवन निर्माण के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए, और समिति द्वारा अनुशंसित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

ख. प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों (सीडीईआईसी) की स्थापना के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना **अनुबंध V** के रूप में संलग्न है।

ग. कार्यान्वयन एजेंसियों को **अनुबंध VI** के अनुसार प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों (सीडीईआईसी) का लोगो द्विभाषी - हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में प्रदर्शित करना होगा।

घ. सीडीईआईसी को सफाई और सेनेटाइजेशन (रोगाणुमुक्ति) उपकरणों व सामग्रियों के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा वॉश-बेसिन उचित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए।

ङ. सुगम्य शौचालय और पीने के पानी के पॉइंट का प्रावधान निकट ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

च. सीडीईआईसी में सी.सी.टी.वी. निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त सुविधा तथा अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए।

छ. सरकार स्वीकृत राशि से अधिक, किसी भी कारण से बुनियादी अवसंरचना की लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि के लिए, किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगी।

ज. कार्यान्वयन एजेंसियां सीडीईआईसी की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से एक अलग खाता बनाए रखेंगीं और यह खाता लेखापरीक्षा के लिए खुला रहेगा।

झ. सीडीईआईसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कामकाज में पेपरलेस (कागज रहित) हों, जहाँ चिकित्सा इतिहास/नुस्खे/प्रगति/हस्तक्षेपों का सभी क्लाइंट डेटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और संग्रहीत किया जाए। **कार्यान्वयन एजेंसियां श्रुश्रुत यूनिफाइड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (यूडीएमएस), ई-हॉस्पिटल, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा इन-हाउस विकसित प्रणाली या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीडीईआईसी की सभी गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगी। डेटा को डीपीडीपी अधिनियम 2023 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रखा जाएगा।** इन रिकॉर्डों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम से कम निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

i. आने वाले बच्चों (0-6 वर्ष) की संख्या के महीने-वार नए मामले और फॉलो-अप (पुनः आने वाले) मामले।
ii. सह-संबद्ध दिव्यांगता या स्थितियों (एसोसियेटिड कंडिशन) के साथ आने वाले बच्चों की संख्या।
iii. आने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या (दिव्यांगता-वार अलग-अलग डेटा बनाए रखा जाना चाहिए)।
iv. पहचाने गए नए जोखिम-मामलों/दिव्यांगताओं की संख्या।
v. पुनर्वास देखभाल के लिए भेजे गए (रेफर किए गए) जोखिम वाले बच्चों/दिव्यांग बच्चों की संख्या।
vi. चिकित्सीय सेवाएँ प्राप्त दिव्यांग बच्चों की संख्या (सेवा-वार अलग-अलग डेटा बनाए रखा जाना चाहिए)।
vii. परामर्श सेवाएँ प्राप्त अभिभावक की संख्या।
viii. सहकर्मी परामर्श प्राप्त दिव्यांग बच्चों की संख्या।
ix. माता-पिता/अभिभावकों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षणों की संख्या।
x. सहायक उपकरण प्राप्तकर्ता दिव्यांग बच्चों की संख्या।
xi. विभिन्न हितधारकों के साथ की गई आउटरीच (पहुंच) गतिविधियों की संख्या और विवरण।
xii. आयोजित की गई जागरूकता सृजन गतिविधियों/कार्यक्रमों की संख्या और विवरण।
xiii. टेली-रिहैब कॉल्स की संख्या : प्राप्त की गई, सुनी गई और रेफर की गई ।
xiv. प्रत्येक बैच में सीसीपीजी पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले और उसे पूरा करने वाले अभिभावकों की संख्या।

ञ. सीडीईआईसी प्रत्येक वर्ष सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण भी करेंगे और विभाग को वीडियो व अन्य दस्तावेज जमा करेंगे। आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता मांगते समय, प्रलेखित सफलता की कहानियों के साथ पिछले वर्ष का समेकित डेटा प्रदान किया जाना चाहिए।

ट. कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए। इसी तरह, अन्य आवर्ती व्यय का भुगतान भी संबंधित एजेंसी/व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे किया जाना चाहिए। कार्यरत पेशेवरों को वेतन/मानदेय के मानदंडों के अनुसार पूरी राशि देय होगी, और उनके नियोजन के लिए केंद्र द्वारा वहन की गई कोई भी अतिरिक्त लागत, जैसे कि हायरिंग एजेंसी का शुल्क आदि, केंद्र द्वारा खुद वहन की जाएगी और इसे पेशेवरों के स्वीकार्य बकाया से नहीं काटा जाएगा। यदि राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)/समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)/सरकारी स्वामित्व वाले/सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल चाहें, तो वे अपने आंतरिक उपार्जन से इस वेतनमान को और बढ़ा सकते हैं।

ठ. आवश्यकताओं के अनुसार पात्रता मानदंडों के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति खुली विज्ञप्ति के माध्यम से की जानी चाहिए और चयन एक समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

ड. सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए। उपस्थिति की निगरानी के लिए आवश्यकता पड़ने पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के लॉगिन क्रेडेंशियल विभाग के साथ साझा किए जाएंगे।

ढ. सीडीईआईसी के मानव संसाधन (कर्मचारी) सभी श्रेणियों के दिव्यांग बच्चों को संभालने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए। वे लाभार्थियों के 'दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र' (यूडीआईडी) कार्ड बनाने में भी सहायता करेंगे।

ण. सभी राष्ट्रीय संस्थान/सरकारी स्वामित्व वाले/सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल/सीआरसी, इन सीडीईआईसी के कर्मचारियों के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इन राष्ट्रीय संस्थानों में सीडीईआईसी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर आने वाली लागत संबंधित संगठनों द्वारा वहन की जाएगी।

त. इस योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय संस्थान / सरकारी स्वामित्व वाले / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल / समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नियंत्रण से बाहर की स्थितियों को छोड़कर, निर्धारित समय के भीतर काम पूरा न होने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज के साथ सहायता अनुदान की पूरी राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

****

अनुबंध–I

सीडीईआईसी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन

_____

1. राष्ट्रीय संस्थान/सरकार के स्वामित्व वाले/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अस्पताल/सीआरसी का नाम:
2. पूरा पता:

   _____

3. एकल-बिंदु संपर्क व्यक्ति का नाम एवं टेलीफोन नंबर:_____
4. सीडीईआईसी के लिए उपलब्ध क्षेत्र/स्थान:_____
5. नया केंद्र/पहले से चल रहा केंद्र:_____
6. यदि पहले से चल रहा केंद्र है, तो कब से कार्यरत है:_____
7. निम्नलिखित के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता: _____

i. अवसंरचना विकास: रु. _____

(अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं, जिसमें सिविल कार्य, विद्युत फिटिंग, फिक्स्चर/फर्नीचर, पेंटिंग आदि शामिल हैं, का अनुमान प्रस्तुत किया जाए। कार्यवार विस्तृत प्राक्कलन, जिस पर सीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता के विधिवत हस्ताक्षर हों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ संलग्न किया जाना है।)

ii. मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता:

_____

(भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों का विवरण, प्रस्तावित पारिश्रमिक सहित)

iii. सीडीईआईसी से संबंधित अन्य आवर्ती आकस्मिक व्यय: _____

8. क्या सीडीईआईसी की स्थापना के प्रस्ताव को तैयार करते समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सीडीईआईसी संबंधी पुस्तिका (डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर उपलब्ध) का अनुपालन किया गया है:

   _____

9. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है तथा इस परियोजना के लिए सीएसआर सहित किसी अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/सरकार के स्वामित्व वाले/सरकार
द्वारा सहायता प्राप्त अस्पताल के निदेशक की मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध–II

मॉडल सीडीईआईसी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को समायोजित करने के लिए अपेक्षित केंद्रों/इकाइयों/कमरों की सांकेतिक सूची

1.	पंजीकरण एवं सुविधा काउंटर
2.	अभिभावक प्रतीक्षा क्षेत्र
3.	परिवार परामर्श/मार्गदर्शन इकाई
4.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श एवं व्यवहारात्मक सहायता इकाई
5.	बाल चिकित्सा केंद्र
6.	आहार एवं दैनिक जीवन की गतिविधियां (एडीएल) कक्ष
7.	वस्त्र परिवर्तन कक्ष
8.	व्यावसायिक चिकित्सा (OT) इकाई
9.	भौतिक चिकित्सा (PT) इकाई
10.	वाक् एवं भाषा हस्तक्षेप (ST एवं Language Intervention) इकाई
11.	इनडोर खेल चिकित्सा इकाई
12.	ट्रांस-डिसिप्लिनरी थेरेपी इकाई (समूह)
13.	बहु-संवेदी एकीकरण इकाई
14.	ट्रांस-डिसिप्लिनरी थेरेपी इकाई (1:1)
15.	बहुउद्देशीय गतिविधि इकाई
16.	दृश्य उद्दीपन कक्ष/वर्चुअल रियलिटी कक्ष
17.	प्रारंभिक तैयारी कक्षा-I (3-4 वर्ष तथा 4-6 वर्ष)

नोट: प्रत्येक सुविधा के लिए न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित करने का निर्णय उपलब्ध स्थान के आधार पर राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/सरकार के स्वामित्व वाले/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अस्पताल के निदेशक द्वारा लिया जाना है।

****

अनुबंध–III

मॉडल सीडीईआईसी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं/इकाइयों/कमरों के लिए आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, सामग्री आदि की सांकेतिक सूची

क. विभिन्न प्रारंभिक दिव्यांगता हस्तक्षेप केंद्रों में अन्य सामान्य इनडोर सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण/फर्नीचर/फिक्चर्स/सामग्री की सांकेतिक सूची

I. पंजीकरण एवं सुविधा काउंटर

सुगम्य पंजीकरण काउंटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, सूचना पट्ट/बुलेटिन बोर्ड/पिन बोर्ड, कुर्सियां, लैंडलाइन फोन/इंटरकॉम, सूचनात्मक दीवार स्टिकर/दीवार चित्र/स्पर्शनीय दीवारें

II. अभिभावक प्रतीक्षा क्षेत्र

कुर्सियां, सोफा, सेंटर टेबल, शैक्षिक वीडियो एवं जागरूकता संबंधी सामग्री के प्रदर्शन के लिए स्मार्ट टीवी एवं एलईडी डिस्प्ले, पुस्तक रैक/कागज/पत्रिका स्टैंड, सूचनात्मक पुस्तिकाएं, मैनुअल, पत्रिकाएं, बच्चों के लिए पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, अभिभावकों के ज्ञानवर्धन हेतु थेरेपी से संबंधित पठन सामग्री, सामान्य चिकित्सीय आवश्यकताओं आदि पर पोस्टर।

III. परिवार परामर्श/मार्गदर्शन इकाई:

1. कार्यालयी टेबल, घूमने वाली कार्यालयी कुर्सी, 3 कुर्सियां (अभिभावकों के लिए), PPT प्रस्तुतियों के लिए व्हाइट बोर्ड/कंप्यूटर, सामग्री आदि के भंडारण के लिए अलमारी।
2. शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं परामर्श संबंधी संसाधन:

- RCI प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, देखभाल संबंधी पाठ्यक्रम (CCCG-P) से संबंधित साहित्य- माता-पिता के लिए
- प्रारंभिक शिक्षा हेतु पोर्टेज गाइड
- समाधान-केंद्रित संक्षिप्त थेरेपी (SFBT) आधारित परामर्श संसाधन
- अभिभावक प्रशिक्षण मैनुअल
- परिवार परामर्श एवं गृह-आधारित हस्तक्षेप संबंधी संसाधन

IV. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श एवं व्यवहारात्मक सहायता इकाई

1. व्यवहार मूल्यांकन उपकरण

क) क्षमता एवं कठिनाइयों संबंधी प्रश्नावली (SDQ)

ख) बाल व्यवहार चेकलिस्ट (CBCL)

ग) बाल्यावस्था ऑटिज्म रेटिंग स्केल–द्वितीय संस्करण (CARS-2)

घ) विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल (VSMS)

ड) ऑटिज्म के मूल्यांकन के लिए भारतीय स्केल (ISAA)

च) संवेदी प्रोफाइल-2

छ) संशोधित एवं अनुवर्ती कार्रवाई सहित छोटे बच्चों में ऑटिज्म के लिए संशोधित चेकलिस्ट (M-CHAT-R/F)

2. व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप उपकरण

क) दृश्य समय-सारणी

ख) सामाजिक कहानी वाली पुस्तकें

ग) व्यवहार की निगरानी संबंधी प्रपत्र

घ) भावनाओं की पहचान संबंधी कार्ड

ड) प्रारंभिक उद्दीपन संबंधी मैनुअल

3. कार्यात्मक मूल्यांकन एवं पुनर्वास इकाई

WeeFIM (बच्चों के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता माप)

4. विकासात्मक मूल्यांकन उपकरण

क) डीएएसएसआईआई (DASSII)

ख) बेले स्केल्स

(नोट: उपर्युक्त मानकीकृत व्यवहार मूल्यांकन उपकरणों में से किसी एक या अधिक उपकरणों अथवा किसी अन्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एवं पेशेवर रूप से स्वीकृत मूल्यांकन उपकरण का उपयोग, बच्चे की आयु, नैदानिक स्थिति और बहु-विषयक टीम के

पेशेवर निर्णय के आधार पर, यथोचित रूप से किया जा सकता है।)

V. बाल चिकित्सा केंद्र

शिशु वजन संबंधी डिजिटल मशीन, बाल वजन संबंधी डिजिटल मशीन, इन्फैंटोमीटर, स्टैडियोमीटर/ऊंचाई मापने का पैमाना, नहीं खींचने वाला माप टेप (सिर की परिधि, छाती की परिधि और मध्य-ऊपरी भुजा की परिधि के लिए), बाल चिकित्सा स्टेथीस्कोप, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, शिशु एवं बच्चे के कफ (बांह पर बांधने वाली विशेष पट्टी) सहित बाल चिकित्सा स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापने का उपकरण), बाल चिकित्सा प्रोब सहित पल्स ऑक्सीमीटर, रिफ्लेक्स हैमर (बाल चिकित्सा), पेन टॉर्च, स्नेलन "E" चार्ट/ली सिंबल्स चार्ट, ट्यूनिंग फोर्क (256 Hz और 512 Hz), जीभ दबाने वाली डिस्पोजेबल स्टिक, ओटोस्कोप, ऑप्थाल्मोस्कोप, एडजस्टेबल बैकरेस्ट सहित परीक्षण काउच, उपकरण ट्रॉली, क्लिनिकल चेयर/स्टूल, आफिस टेबल, घूमने वाली कार्यालय कुर्सी, आगंतुक कुर्सियां (अभिभावकों/देखभालकर्ताओं के लिए), निजता स्क्रीन/पर्दा, ढक्कन सहित रंग-कोडित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट पात्र, हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल परीक्षण दस्ताने, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट, नेब्युलाइजर, बाल चिकित्सा मास्क एवं फ्लो मीटर सहित ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बु बैग (शिशु एवं बाल चिकित्सा आकार के), विकासात्मक स्क्रीनिंग खिलौने (खड़खड़ाहट वाले खिलौने, एक-दूसरे के ऊपर रखने वाले ब्लॉक, आकार वर्गीकरण खिलौने, चित्र पुस्तकें, मुलायम गेंदें, पहेलियां), WHO बाल विकास चार्ट, विकासात्मक माइलस्टोन चार्ट, बच्चों के अनुकूल फर्श मैट/प्ले मैट।

VI. फीडिंग कक्ष/विभाजन

1. बेबी बूस्टर सीटें।
2. भोजन कराते समय निजता प्रदान करने के लिए विभाजन जाली/पर्दा।
3. कुर्सियां
4. दीवार पर लगाने वाले सूचनात्मक स्टिकर/दीवार पर चित्र

VII. चेंजिंग रूप/विभाजन

1. **उपकरण/सामग्री:**

1. दीवार पर लगाए जाने वाला लंबवत मोड़ने योग्य बेबी चेंजिंग स्टेशन
2. बिस्तर की सुरक्षा के लिए जलरोधी/रबर चेंजिंग मैट
3. डायपर, वाइप्स तथा अन्य वस्त्र परिवर्तन संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए स्टोरेज कैबिनेट/शेल्फ
4. ढक्कनयुक्त कूड़ेदान (पेडल से संचालित)
5. तरल साबुन डिस्पेंसर और पेपर टॉवल डिस्पेंसर सहित हाथ धोने का सिंक (जहां संभव हो)
6. अभिभावकों/देखभालकर्ताओं के लिए कुर्सियां

ख. क्रॉस-डिसएबिलिटी प्रारंभिक हस्तक्षेप संबंधी चिकित्सीय सेवाओं, जिसमें प्रारंभिक तैयारी वाले विद्यालय भी शामिल है, के लिए आवश्यक उपकरण/सामग्री की सांकेतिक सूची

I. लर्निंग सेंटर के लिए सामग्री

1. गृह क्षेत्र:

- छोटे के आकार का चूल्हा, बर्तन रखने के लिए कैबिनेट सहित सिंक, रेफ्रिजरेटर, टेबल एवं कुर्सियां, बिस्तर, ड्रेसर, कपड़े पहनने हेतु प्रदर्शन सामग्री तथा अन्य फर्नीचर जैसे वॉशिंग मशीन आदि।
- खाना पकाने के बर्तन जैसे पतीले/कड़ाही, खाने के बर्तन, खिलौना खाद्य सामग्री, खाद्य उत्पादों के खाली नमूने, मसाले आदि।
- सफाई के उपकरण जैसे पोछे, झाड़ू, डस्टर, कूड़ेदान, डस्टपैन, वैक्यूम क्लीनर आदि।
- शिशु गुड़िया, वयस्कों को दर्शाने वाली गुड़िया, गुड़ियाघर के लिए छोटी गुड़िया (अधिमानतः विभिन्न जातिय एवं दिव्यांगता संबंधी विशेषताओं को दर्शाने वाली), गुड़ियाघर, गुड़िया के फर्नीचर, गुड़िया के कपड़े आदि।
- पूर्ण लंबाई वाला न टूटने वाला दर्पण।
- खिलौना टेलीफोन, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाहन, स्टफ्ड खिलौने आदि।
- पुरुष एवं महिला दोनों के लिए विभिन्न मौसमों एवं अवसरों को दर्शाने वाले कपड़े पहनने के लिए परिधान।

2. विषय-आधारित क्षेत्र

- अस्पताल: डॉक्टर किट, स्टेथीस्कोप, सफेद कोट, पट्टियां, टेप, गुड़िया आदि।
- रेस्तरां: टेबल एवं कुर्सियां, मेन्यू कार्ड, खिलौना मुद्रा, एप्रन, कटलरी, खिलौना खाद्य सामग्री आदि।
- किराना स्टोर: उत्पादों के खाली नमूने, खिलौना शॉपिंग कार्ट, खिलौना कैश रजिस्टर, बैग, खिलौना मुद्रा आदि।
- अग्निशमन केंद्र: फायर ट्रक, जूते, रबर की नली, अग्नि-सुरक्षा टोपी, रेनकोट आदि।

II. सूक्ष्म मोटर कौशल प्रशिक्षण के लिए सामग्री

- निर्माण संबंधी खिलौने: छोटे लकड़ी के ब्लॉक/घन, आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक, ब्रिसल ब्लॉक, वॉफल ब्लॉक आदि।
- पहेलियां: विभिन्न बनावटों (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु-बनावट वाली) तथा विभिन्न कठिनाई स्तरों वाली, नॉब वाली, बिना नॉब वाली, विभिन्न संख्या में टुकड़ों (05 से 30) वाली, आपस में जुड़ने वाले टुकड़ों एवं अलग-अलग टुकड़ों वाली, क्रमबद्ध तथा फर्श पर रखने वाली पहेलियां।
- फेर बदल कर सकने संबंधी सामग्री:
- छोटे एवं बड़े मोती, डोरियां, मोती के पैटर्न वाले कार्ड, मोती फ्रेम।
- सिलाई की सामग्री, जिसमें कुंद सुइयां, ऊन, जूट की डोरी, बटन, डोरी/फीते सहित लेसिंग कार्ड शामिल हैं।
- पेग एवं पेग बोर्ड।
- जिप, स्नैप एवं बटन वाले ड्रेसिंग फ्रेम।
- कनेक्टर सहित स्ट्रॉ/स्टिक्स।
- नट एवं बोल्ट, स्क्रू।

- रेल की पटरियां एवं रेलगाड़ी।
- आकार वर्गीकरण उपकरण।

III. कला/शिल्प क्षेत्र के लिए सामग्री:

- चित्रांकन: बड़े एवं छोटे क्रेयॉन; पेन, पेंसिल, रबर, रंगीन पेंसिल; मोटे एवं पतले धुलने योग्य मार्कर; चॉक, चॉक बोर्ड, रबर; कागज (विभिन्न आकार एवं रंग, रेखांकित एवं सादा), समाचार-पत्र, टिश्यू पेपर, क्राफ्ट पेपर; ड्राई-इरेज़ बोर्ड एवं मार्कर।
- पेंटिंग: फिंगर पेंट; तरल टेम्परा पेंट; ब्लॉक/डिस्क टेम्परा पेंट एवं ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट उपकरण, पेंट ब्रश, रोलर, दबाने एवं स्प्रे करने वाली बोतलें, स्पंज, कॉटन बड्स, पेंट स्क्रेपर।
- कोलाज: गोंद की बोतलें, ग्लू स्टिक, गोंद लगाने वाले ब्रश/स्प्रेडर; कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कार्डबोर्ड ट्यूब, डिब्बे, निर्माण कार्य के लिए रोल, फेल्ट/कपड़े के टुकड़े, ऊन/डोरियां; कॉटन बॉल; पोम-पोम; ग्लिटर, बटन, सेक्विन, सजावटी रत्न; प्राकृतिक वस्तुएं (पत्तियां, बीज, टहनियां, पंख)।
- 3D सामग्री: प्ले-डो, मिट्टी, चिपकाने/निर्माण कार्य के लिए लकड़ी; पाइप क्लीनर, प्लास्टिसीन आदि।
- उपकरण: सुरक्षित कैंची (बाएं एवं दाएं हाथ से उपयोग करने वालों के लिए), स्टेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप होल्डर; प्ले-डो के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण (क्राफ्ट स्टिक, कुंद चाकू, कैंची, स्टेंसिल)।

IV. ब्लॉक-निर्माण क्षेत्र के लिए सामग्री:

- ब्लॉक: विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले यूनिट ब्लॉक, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, बेलन एवं मेहराब। बड़े खोखले ब्लॉक (खुले किनारों वाले), ट्री-ब्लॉक, शिक्षक द्वारा निर्मित ब्लॉक (बड़े कार्डबोर्ड के दूध के डिब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर, फोम कंटेनर, मजबूत डिब्बे, ब्लॉक के आकार में काटी गई लकड़ी)।
- सहायक सामग्री: ब्लॉक निर्माण के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए खिलौना वाहन (ट्रक, कार, रेलगाड़ी, कृषि वाहन), यातायात/सड़क संकेत, फर्श पर सड़क का मानचित्र/कालीन, छोटे खिलौना व्यक्ति, छोटे खिलौना जानवर (चिड़ियाघर, फार्म, घरेलू), रैंप, बोर्ड आदि।

V. पठन क्षेत्र के लिए सामग्री:

- विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इनमें बाजार से खरीदी गई, वयस्कों एवं बच्चों द्वारा बनाई गई पुस्तकें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं शामिल हो सकती हैं। निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी से कुछ पुस्तकों का चयन किया जाए:
- तथ्यात्मक पुस्तकें: जानवर; जानवरों एवं पौधों के बारे में तथ्य; वास्तविक जीवन के अनुभव (जैसे डॉक्टर के पास जाना); संख्याएं; आकार; रंग;

VI. गणित/संख्या क्षेत्र के लिए सामग्री:

- मापन: तरल/सूखी वस्तुओं के मापन के सेट (कप एवं चम्मच); तराजू एवं बाट; कपड़े की मापने वाली फीता; मीटर छड़; रूलर; विंड-अप मीटर टेप; थर्मामीटर; ऊंचाई चार्ट; सेंटीमीटर घन।
- आकृतियां: चुंबकीय आकृतियां, किसी भी आकृति के पैटर्न या मिलान वाले कार्ड/खिलौने; एट्रिब्यूट ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग, आकृति एवं मोटाई); विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों वाली पहेलियां; आकृति वर्गीकरण/व्यवस्थित करने वाले उपकरण।
- गिनती: गिनती के लिए छोटी वस्तुएं जैसे रंगीन मोती, जानवर, वाहन, पैटर्न कार्ड या छंटाई/गिनती ट्रे सहित या बिना; खिलौना मुद्रा; मिलान करने के लिए संख्याओं एवं छेदों वाले पेग; ऐसी खेल सामग्री या पहेलियां जिनमें वस्तुओं की मात्रा को लिखित संख्या से मिलाया जाता है; पासे वाले खेल।
- लिखित संख्या: नंबर बुक एवं पोस्टर; चुंबकीय (मेग्नेटिक) संख्याएं; संख्या वाली पहेलियां; संख्या वाले लेसिंग कार्ड; खिलौना टेलीफोन; खिलौना मुद्रा; घड़ी; कैलेंडर; फ्लैश कार्ड।
- मात्राएं: एक-दूसरे के अंदर रखने/ऊपर रखने वाले कप; डोमिनो; अबेकस; चार्ट एवं ग्राफ; अधिक या कम/भिन्न ज्ञात करने के लिए खिलौने एवं खेल; स्नैप-क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब; विभिन्न ऊंचाइयों का क्रम दर्शाने वाली पहेलियां या थ्री-डी ग्रेजुएटिड सिलेंडर ।

VII. संगीत/गतिविधि क्षेत्र के लिए सामग्री:

- संगीत वाद्ययंत्र: घंटियां, पियानो, त्रिकोण वाद्य, जाइलोफोन, रिदम स्टिक; ड्रम; टैम्बरीन, झांझ, टोन-ब्लॉक।
- नृत्य सामग्री: स्कार्फ, रिबन, स्ट्रीमर; हूप; कपड़े एवं जूते (पुरुष एवं महिला दोनों के)।
- ऑडियो उपकरण: टेप/CD प्लेयर, रेडियो; विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे लोक संगीत, शास्त्रीय, बच्चों के लोकप्रिय गीत, तुकबंदी, विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न भाषाओं के संगीत वाली टेप/CD; हेडफोन, गीत-पुस्तिकाएं, माइक्रोफोन।

VIII. प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सामग्री:

- बाल साहित्य के रूप में मानी जाने वाली कहानी का वीडियो।
- ऐसी शैक्षिक सामग्री वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें संख्याओं, रंगों, मिलान आदि जैसी अवधारणाओं का परिचय कराया गया हो।
- बच्चों एवं कर्मचारियों के लिए व्यायाम संबंधी वीडियो।
- ऐसे वीडियो जो बच्चों के पाठ्यक्रम/रुचियों का समर्थन करते हों।

महत्वपूर्ण: कार्टून, वीडियो, बच्चों की फिल्मों सहित कोई भी ऑडियो/विजुअल उपकरण सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए तथा उसमें हिंसक, डरावनी या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री नहीं होनी चाहिए।

IX. फिजियोथेरेपी के लिए उपकरण/सामग्री:

- पैरेलल बार (बाल चिकित्सा)
- सीढ़ी चढ़ने का उपकरण (स्टेयर क्लाइम्बर)
- स्थिर साइकिल (स्टेटिक साइकिल)
- स्टैंडिंग फ्रेम
- रोइंग मशीन
- इंटर-लॉकिंग मैट
- कॉर्नर चेयर
- C.P. चेयर
- प्रोन क्रॉलर
- प्रोन वेज
- बोल्स्टर
- थेरेपी बॉल
- हैंड बॉल
- बैलेंस बोर्ड
- स्कूटर बोर्ड
- ट्रैम्पोलिन
- स्पाइडर केज
- ब्लेज़ पॉड्स
- स्प्लिट-बेल्ट ट्रेडमिल

X. व्यावसायिक चिकित्सा के लिए उपकरण/सामग्री:

- विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैंडपेपर, टिश्यू आदि)।
- बोर्ड गेम एवं पहेलियां।
- प्ले-डो एवं कुकी कटर।
- नट एवं बोल्ट।
- सेंसरी बिन/बॉक्स।
- आकार वर्गीकरण उपकरण। (रोप शॉर्टर)
- फिंगर पेंटिंग सामग्री।
- विभिन्न रंगों वाली रंग भरने की पुस्तक (विभिन्न आकार एवं बनावट)।
- मोती एवं डोरी (विभिन्न आकार, रंग एवं बनावट)।
- बिल्डिंग ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग एवं बनावट)।
- थेरेपी बॉल एवं बोल्स्टर।
- पकड़ की शक्ति बढ़ाने वाले उपकरण (ग्रिपस्टेन्थनर्स) (विभिन्न प्रकार की पकड़ वाले)।
- सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार एवं पैटर्न)।
- पेपर पंचिंग मशीन (विभिन्न आकार एवं पैटर्न)।
- आंख-हाथ समन्वय के लिए सामग्री।
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्री।
- कोर-मजबूतीकरण के लिए गतिविधि-आधारित सामग्री।

- विजुअल-मोटर एकीकरण के लिए सामग्री।
- जिप, स्नैप एवं बटन वाले ड्रेसिंग फ्रेम।
- स्टैकिंग, क्रम निर्धारण एवं फेरबदल वाले खिलौने।
- इंटर-लॉकिंग मैट।

XI. प्ले थेरेपी के लिए उपकरण/सामग्री:

- बॉल पूल।
- प्ले-डो/मिट्टी।

- स्विशी बॉल।
- कठपुतलियाँ।
- स्पर्श नीम दीवार।
- इनडोर बास्केटबॉल।
- गुड़िया, जानवरों के खिलौने, वाहन आदि।
- मैजिक/काइनेटिक रेत।
- इंटरलॉकिंग मैट।
- स्किटल्स।
- झूले।
- आवाज़ करने वाले खिलौने और सॉफ्ट टॉय।
- फेस मास्क।
- पेंट सैट।
- मंझीरा (स्मिबैल्स) ।
- टॉय टनल ।

XII. भाषण चिकित्सा के लिए उपकरण/सामग्री:

- सैंसरी मैट।
- दर्पण।
- टॉर्च।
- फ्लैश कार्ड (फल, सब्जियाँ, जानवर, सामान्य वस्तुएँ, एक्शन कार्ड, वाहन, स्वयं की देखभाल के कौशल, अच्छी आदतें, शरीर के अंग, संख्याएँ, आकृतियाँ, रंग आदि)।
- खिलौना सामग्री (जानवर, फल, सब्जियाँ, वाहन आदि)।
- आवाज़ करने वाले खिलौने।
- प्ले-डो/क्ले।
- चित्र चार्ट (बच्चे, जानवर, पक्षी, कीड़े-मकौड़े, अपनी सुरक्षा, मेरा परिवार, कविताएँ, रंग, काम करने वाले

लोग, झंडों की दुनिया, फूल आदि)।

- रंग भरने की किताबें और रंग।
- आई-गेज-ट्वायज ।
- स्टिकर – फल, सब्जियाँ आदि।
- फिंगर पपेट।
- बीन बैग।
- ड्राइंग और कहानी की किताबें।
- अभिनय/नाटक खेल किट (किचन सेट/डॉक्टर सेट आदि)।
- विजुअल स्टिम्यूलेशन ट्वायज ।
- इंटरलॉर्किंग मैट।
- विभिन्न अवधारणाओं वाले पेग बोर्ड।
- AAC उपकरण (जैसे Jellow या IMMA या अन्य उपयुक्त AAC उपकरण)।

XIII. संसाधन कक्ष की सामग्री:

- शरीर के अंगों वाली पहेलियाँ।
- सब्जियों के मॉडल।
- फलों के मॉडल।
- घुंडी वाले स्वर (वावल्स विद नोब) (क्षेत्रीय भाषा)।
- लेखन-पूर्व (प्री राईटिंग) पैटर्न।
- विकास संबंधी पहेली।
- अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे – बड़े अक्षर।
- अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे – छोटे अक्षर।
- आकृति बोर्ड।
- टावर बनाना – वृत्त, वर्ग, घन।
- पहेलियाँ।
- फ्लैश कार्ड – वर्णमाला, संख्याएँ, आकृतियाँ, रंग, जानवर, सब्जियाँ, फल, क्रियाएँ, पक्षी, फूल, वाहन।
- विभिन्न आकार, रंग और बनावट वाले मोती।
- ट्रेसिंग स्टेंसिल – अंग्रेजी, हिंदी/क्षेत्रीय भाषा।
- कपड़े पहनने वाला फ्रेम।
- अच्छी आदतों के फ्लैश कार्ड।
- प्रारंभिक मैमोरी गेम ।
- कहानी सुनाने वाले फ्लैश कार्ड।
- सॉफ्ट टॉय, स्टफड एनिमल, गुड़िया।

- बागवानी सेट।

XIV. समावेशी प्रारंभिक विद्यालय के लिए उपकरण/सामग्री:

1. फर्नीचर और फिटिंग (उम्र के अनुरूप, रंगीन, टिकाऊ आदि):

1. बच्चों के लिए स्टडी टेबल।
2. बच्चों के लिए कुर्सियाँ।
3. शिक्षक के लिए कार्यालय मेज।
4. शिक्षक के लिए कार्यालय कुर्सी।
5. पेन के साथ व्हाइटबोर्ड/चॉक के साथ ग्रीनबोर्ड।
6. पिन के साथ सूचना पट्ट।
7. दीवार घड़ी।
8. ढक्कन वाला कूड़ेदान।

2. सामग्री और कार्यक्रम

1. घर-आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम
2. विद्यालय की तैयारी के उपकरण
3. प्रारंभिक उद्दीपन गतिविधि किट
4. विकासात्मक गतिविधि पुस्तिकाएँ

3. पूर्व-प्राथमिक विद्यालय श्रृंखला

उम्र के अनुरूप बहुभाषी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण सामग्री।
पुस्तकें: एलकेजी

- प्राथमिक अंग्रेज़ी
- क्षेत्रीय भाषा में कविताएँ
- ऑल-इन-वन – टर्म 1
- ऑल-इन-वन – टर्म 2
- ऑल-इन-वन – टर्म 3

4. पुस्तकें: यूकेजी

- क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें
- ऑल-इन-वन टर्म 1
- ऑल-इन-वन टर्म 2
- ऑल-इन-वन टर्म 3

नोट – क. यह सुनिश्चित किया जाए कि सीडीईआईसी में उपलब्ध कराए गए उपकरण, फर्नीचर, फिक्चर्स सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता वाले, टिकाऊ, बच्चों के लिए सुरक्षित, गैर-हानिकारक सामग्री से बने तथा निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों।

ख. योजना के अंतर्गत खरीदे गए सभी उपकरणों के लिए अलग परिसंपत्ति रजिस्टर (Asset Register) रखा जाएगा।

अनुबंध–IV

मानव संसाधन आवश्यकता

क्र. सं.	पद (संविदात्मक)	न्यूनतम योग्यता	संख्या	मासिक पारिश्रमिक
1	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक	नैदानिक मनोविज्ञान/पुनर्वास मनोविज्ञान/मनोविज्ञान में M.Phil./MA या RCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता, न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव सहित ।	1	60000
2	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	BOT या उच्चतर, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव सहित।	1	50000
3	ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट (ASLP)	BASLP या उच्चतर, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव के साथ ।	1	50000
4	प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता (अर्ली इंटरवेन्शनिस्ट)	RCI द्वारा मान्यता प्राप्त PGDEI या प्रशिक्षण/अनुभव सहित BOT/BPT/अन्य RCI-मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवर, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव सहित।	1	50000

क्र. सं.	पद (संविदात्मक)	न्यूनतम योग्यता	संख्या	मासिक पारिश्रमिक
5	विशेष शिक्षक (एक पद बौद्धिक दिव्यांगता के लिए तथा एक पद किसी अन्य दिव्यांगता श्रेणी के लिए; क्रॉस-डिसएबिलिटी अनुभव वाले को प्राथमिकता)	संबंधित क्षेत्र में B.Ed. (विशेष शिक्षा), न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव सहित ।	2	50000
6	फिजियोथेरेपिस्ट	BPT, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव के साथ।	2	50000
7	नर्स	नर्सिंग में डिप्लोमा, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव के साथ।	1	42000
8	प्रशिक्षित देखभालकर्ता	RCI-प्रमाणित CBID/CCCG/CCCG-P प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता सहित दिव्यांग मित्र।	2	30000
9	आया/सफाईकर्मी	अर्ध-कुशल	1	22000
10	गतिविधि शिक्षक (पूर्णकालिक) (आवश्यकतानुसार)	D.Ed./B.Ed. तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत, नृत्य, ललित कला, मनोरंजन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, योग या समकक्ष योग्यता में न्यूनतम प्रमाणपत्र/डिप्लोमा। विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव रखने वाले ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव हो।	1	42000
11	संबंधित विशेषज्ञताओं में आवश्यकता-आधारित (नीड बेसिस) बाहरी चिकित्सा डॉक्टरों/सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की विजिट	**चिकित्सा डॉक्टर:** अपेक्षित विशेषज्ञता में PG डिग्री/PG डिप्लोमा सहित MBBS या समकक्ष। **जेनेटिक काउंसलर**: जेनेटिक काउंसलिंग/मेडिकल जेनेटिक्स में मास्टर डिग्री या समकक्ष। **ऑप्टोमेट्रिस्ट:** बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री (B.Optom)/डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री या समकक्ष। **न्यूट्रिशनिस्ट/डायटीशियन**: न्यूट्रिशन/फूड एंड न्यूट्रिशन/क्लिनिकल न्यूट्रिशन में M.Sc. या	1	एक माह में चिकित्सा या सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की अधिकतम 15 विजिट होंगी, प्रत्येक विजिट कम से कम 4 घंटे की होगी, जिसके लिए निम्नलिखित पारिश्रमिक

क्र. सं.	पद (संविदात्मक)	न्यूनतम योग्यता	संख्या	मासिक पारिश्रमिक
		B.Sc. डायटेटिक्स, जैसा लागू हो, संबंधित पंजीकरण/प्रमाणन के साथ। **अन्य सहायक स्वास्थ्य पेशेवर:** संबंधित वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता।		दिया जाएगा: MBBS/PG वाले चिकित्सा पेशेवर: 3750/- रु. प्रति विजिट सहायक स्वास्थ्य पेशेवर: 3000/- रु. प्रति विजिट
12	सामाजिक कार्यकर्ता	M.A. (सोशल वर्क) या DCBR/DVR (ID) सहित स्नातक, न्यूनतम 2 वर्ष के संबंधित योग्यता-पश्चात अनुभव सहित।	1	42000
13	(क) नैदानिक मनोविज्ञान **इंटर्न-01 (ख)** स्पीच थेरेपी **इंटर्न (01) (ग)** पेशेवरों की सहायता के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न (अधिकतम इंटर्नशिप अवधि = 1 वर्ष)	**नैदानिक मनोविज्ञान इंटर्न:** मनोविज्ञान में स्नातक/मास्टर डिग्री। **ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न:** बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (BOT) या मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (MOT), जैसा लागू हो।	3	PG के लिए 15000 रु. प्रति माह और UG के लिए 12000 रु. प्रति माह
14	डाटा एंट्री ऑपरेटर	कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाला स्नातक।	1	25000

नोट: *संशोधित पारिश्रमिक मानदंड **01.10.2026** से मौजूदा **CDEICs** में पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।*

** **CDEICs में पूर्णकालिक/अंशकालिक कर्मचारियों को एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर मूल पारिश्रमिक पर 5% की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी। 5% की वार्षिक वृद्धि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने तथा विभाग द्वारा कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन का मूल्यांकन किए जाने के आधार पर दी जाएगी।***

** इस उप-योजना के अंतर्गत **CDEIC** समन्वयक का कोई अलग पद नहीं होगा। उपरोक्त सूची में से सबसे वरिष्ठ पेशेवर, अथवा संस्थान के प्रमुख द्वारा तय किया गया पेशेवर, अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के साथ-साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।*

अनुबंध – V

CDEIC (**सीडीईआईसी) की स्थापना के लिए चरणवार कार्य विभाजन**

चरण I **सामान्य सेवाएँ (इनडोर)**	पंजीकरण एवं सुविधा केंद्र
	अभिभावकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र
	परिवार सहायता इकाई
	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श एवं व्यवहार सहायता इकाई
	बाल चिकित्सा केंद्र
	सुगम्य शौचालय
	प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ
	OT इकाई
	PT इकाई
	ST एवं भाषा हस्तक्षेप इकाई
	इनडोर खेल चिकित्सा इकाई
	टेली-पुनर्वास इकाई
	सामान्य सेवाएँ (आउटडोर)
	आउटडोर खेल क्षेत्र
	संवेदी/थैरापार्क
चरण II **सामान्य सेवाएँ (इनडोर)**	फीडिंग एवं ADL कक्ष
	कपड़े बदलने का कक्ष
	प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ
	बहु-विषयक चिकित्सा इकाई (समूह)
	बहु-संवेदी एकीकरण इकाई
	बहु-विषयक चिकित्सा इकाई (व्यक्तिगत)
	बहु-उद्देशीय गतिविधि इकाई
	दृश्य उत्तेजना वर्चुअल स्टिम्यूलेशन/वर्चुअल रियलिटी-आधारित तकनीक के साथ प्रशिक्षण इकाई

चरण III **प्रारंभिक विद्यालय सेवाएँ**	प्रारंभिक कक्षा I (3-4 वर्ष) प्रारंभिक कक्षा II (4-6 वर्ष)

****

क्रॉस-डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का लोगो



